भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 767
दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक विकारों के लिए इलाज का प्रावधान

767 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने व्यक्ति किसी न किसी तरह के मानसिक विकार से जूझ रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद भारत में मनोचिकित्सकों और मानसिक चिकित्सालयों की भारी कमी है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) मानसिक रोगियों के इलाज के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में क्या प्रावधान है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) देश में मानसिक विकारों की व्याप्तता संबंधी ब्यौरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2016 में दिया गया है। यह सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और 12 राज्यों के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, बेंगलुरु द्वारा किया गया था। किसी भी मानसिक रुग्णता की मनुष्य के पूरे जीवनकाल में व्याप्तता लगभग 11% (लगभग 12 करोड़ लोग) है। अलग-अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाले विकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- स्किज़ोफ्रेनिया और संबंधित मनोविकार: 0.4% (लगभग 50 लाख लोग)
- मूड संबंधी विकार (अवसादग्रस्तता विकार और द्विध्रुवी भावात्मक (बायोपोलर अफेक्टिव डिस आर्डर विकार सहित): 2.8% (लगभग 3 करोड़ लोग)
- अन्य सामान्य मानसिक विकार: 3.5% (लगभग 4 करोड़ लोग)
- शराब के उपयोग संबंधी विकार: 4.6% (लगभग 5 करोड़ लोग)

(ख) और (ग) देश में वहनीय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 704 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप , गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की सतत परिचर्या और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त जिला स्तर पर 10 बिस्तर वाली अतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है। एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में और सुधार करने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती है और चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है; सीजीएचएस लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियां जारी की जाती हैं।

****